



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244325
CG-DL-E-13032023-244325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1132]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944

No. 1132]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 1179(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6150(अ), तारीख 29 दिसम्बर 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड(ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के कि.मी. 34+400 से कि.मी. 50+600 (किशनगढ़ से चित्तौड़गढ़ सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छः लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप धारा (3) के अधीन तारीख को 14.01.2023 “दैनिक भास्कर” और “पंजाब केसरी” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप-खण्ड अधिकारी, भिनाय ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप धारा(1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी हैं ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप धारा(2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रिय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के कि.मी 34+400 से कि.मी. 50+600 तक (किशनगढ - चितौडगढ खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: अजमेर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भिनाय				
	गांव का नाम: सिंगावल				
1	4000/4013	निजी	गै.मु.आबादी	0.0416	सरबजीत कौर पत्नि मलकीत सिंह जाति माली सा. भारत विला तहसील नावा शहर जिला नावा शहर पंजाब हाल निवासी बिजयनगर खातेदार के स्थान पर रजि0बिक्रयपत्र संख्या 202203343100613 दिनांक 30.03.2022 से क्रेता दिव्या खण्डेलवाल पत्नि आकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्री नगर लोसल तहसील दाता रामगढ जिला सीकर (पूर्ण)
			कुल	0.0416	

[फा. सं. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/KU/LA/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 1179(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 6150(E), dated 29 December, 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section(1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 79 on the stretch of land from Km. 34+400 to Km. 50+600 (Kishangarh - Chittorgarh section) in the District of Ajmer in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daik Bhaskar” and “Panjab Kesri” both are dated the 14.01.2023 under sub-section (3) of section 3A of said Act;

And whereas, objections have been received and same have been considered and disallowed by the competent authority, namely the sub divisional officer, Bhinai ;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 34+ 400 to KM.50+600 of the National Highways No. 79 (Kishangarh-Chittorgarh Section) in the state of Rajasthan.

State: RAJASTHAN			District: AJMER		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhinai				
	Village: Singhawal				
1	4000/4013	Private	Ge.Mu.Abadi	0.0416	Sarabjit Kaur w/o Malkit Singh Caste Mali Sa. Bharat Villa Tehsil Nava City District Nava City Punjab Hall Resident

					Bijaynagar in place of Khatedar Reg. Sale letter no.202203343100613 Dated 30.03.2022 Buyer Divya Khandelwal wife Akash Sharma Caste Brahmin Resident Shastri Nagar Losal Tehsil Data Ramgarh District Sikar Full
			TOTAL	0.0416	

[F. No. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/KU/LA/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.